

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक-29.09.2019 के तहत ज्योत्सना चतुर्वेदी, व्याख्याता, जीव विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, महावीर नगर III, कोटा से राउमावि, छोटी सरवा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा किया गया। ज्योत्सना चतुर्वेदी ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 2988/2019 ज्योत्सना चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2019 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीडा व्यक्त करते हुए रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर निर्णय के क्रम में अपीलार्थी ज्योत्सना चतुर्वेदी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पति के कोटा में कार्यरत होने तथा स्थानान्तरित स्थान 600 किमी दूर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि, महावीर नगर III, कोटा में यथावत/ डाईट कोटा/राउमावि इटावा, कोटा (रिक्त पद) की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। ज्योत्सना चतुर्वेदी, जीव विज्ञान को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर इनका समायोजन राउमावि, इटावा, कोटा व्याख्याता, जीव विज्ञान के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।



(नथमल डिलेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/अभ्यावेदन/ज्योत्सना चतुर्वेदी/को.के/19-20

दिनांक:- 03/12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अजमेर।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. स्टिरटन एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, महावीर नगर III, कोटा/राउमावि, छोटी सरवा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा।
9. कार्मिक ज्योत्सना चतुर्वेदी, व्या० जीव विज्ञान राउमावि, राउमावि, महावीर नगर III, कोटा।
10. गार्ड पंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर